उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन अनुभाग–1
संख्या: 3748/ XXV-47/2019
दिनांक : देहरादून, 18 दिसम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2020 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 23/2019-ERS(Vol.III) दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 एवं पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 2019 एवं तद्विषयक समय–समय पर जारी निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य के 14,07,220 निर्वाचकों के Non Standard old EPIC नम्बरों को New Standard EPIC नम्बर में Migrate कर दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जा चुका है। राज्य के उक्त ऐसे सभी निर्वाचकों हेतु नये EPIC की प्रिन्टिंग की कार्यवाही गतिमान है, नये EPIC में New Standard EPIC नम्बर के साथ पुराना EPIC नम्बर का भी सन्दर्भ रहेगा। आयोग द्वारा भविष्य में ऐसे निर्वाचकों द्वारा New Standard EPIC नम्बर का प्रयोग किये जाने की अपील की गयी है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि NVSP Portal पर New Standard EPIC नम्बर से ही सर्च की सुविधा उपलब्ध होगी।

राज्य के ऐसी सभी 14,07,220 निर्वाचक, जिनके Non Standard old EPIC नम्बरों को New Standard EPIC नम्बर में Migrate किया जा चुका है, का जनपदवार, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार एवं मतदेय स्थलवार तथा मतदातावार विवरण सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ विभागीय वैबसाइट https://ceo.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है। New Standard EPIC नम्बर वाले EPIC सभी सम्बन्धित मतदाताओं को सम्बन्धित बी.एल.ओ. के माध्यम से शीघ्र ही निःशुल्क वितरित किये जायेगें।

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या– 3748/ xxv–47/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को जनपदवार, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार एवं मतदेय स्थलवार तथा मतदातावार उक्त विवरण इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे तदनुसार इसका सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सभी आवश्यक माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार करने के साथ–साथ सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी इसकी प्रति उनके कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय अभिलेख हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को सभी प्रचार माध्यमों से जन सामान्य को जानकारी हेतु निःशुल्क प्रसारित करने का कष्ट करे।
5. समस्त प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री/सचिव, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, स्टेट एनआईसी, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को जनपदवार संलग्न विवरण सहित विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी